बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2021 पारित

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बिहार विधान मंडल में बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2021 पारित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2021 के अंतर्गत अनुपूरक बजट के ज़रिये कुल 20,531 करोड़ 82 लाख 72 हज़ार रुपए की राशि समेकित निधि से विनियोजित की जाएगी।
- इस विधेयक में समग्र शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्याह्न भोजन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि में 5348 करोड़ रुपए का अनुपूरक उपबंध किया गया है।
- राज्य सरकार की अन्य महत्त्वपूर्ण योजनाओं, जैसे- पेयजल हेतु गंगाजल उद्वह योजना, पटना मेट्रो रेल परियोजना, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, सात निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई सृजन परियोजना आदि के लिये 6773 करोड़ रुपए का अनुपूरक उपबंध किया गया है।
- 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में, स्थानीय स्तर पर आम आदमी को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु राज्य की पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों को स्वास्थ्य प्रक्षेत्र के लिये कुल 1117 करोड़ रुपए का अनुपूरक प्रावधान किया गया है।
- छठे राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में पंचायतों को 2130 करोड़ रुपए तथा नगर निकायों को 1445 करोड़ रुपए का अनुपूरक प्रावधान किया गया है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/bihar-appropriation-no-4-bill-2021-passed